(प्रकरण संख्या 47 / 2025
अनवान हरदीप सिंह बनाम देवेन्द्र सिंह)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अन्त0 धारा 251–ए आर.टी.ए.

हरदीप सिंह बनाम देवेन्द्र सिंह

!! संशोधित आदेश !!

दिनांक :–09.07.2025

प्रार्थी हरदीप सिंह व अप्रार्थीगण देवेन्द्रसिंह वगैरह द्वारा जरिए वकील श्री भजन लाल टाक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवदेन किया गया कि उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रार्थी हरदीप सिंह द्वारा माननीय न्यायालय में एक अनवानी वाद पत्र बअनवानी हरदीप सिंह बनाम देवेन्द्र सिंह आदि पेश किया हुआ था जिसका नम्बर 47 / 2025 है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनंका 04–07–2025 को निर्णय पारित किया जा चुका है और पारित निर्णय आदेश में प्रार्थी से डी एल सी की दुगनी राशि जमा करवाने का आदेश पारित किया गया है जिसके सम्बन्ध मे प्रार्थी निवेदन करता हैं कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार का प्रतिकर नहीं लेना चाहते है तथा आपसी सहमति से इनके द्वारा रास्ता स्वीकृत करवाया गया है। इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेशों में उक्त प्रतिकर संबधी संशोधन किया जाना आवश्यक है। इस बाबत समस्त काश्तकारान पूर्णतया सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश करके करबद्ध अनुरोध है कि माननीय न्यायालय द्वारा जारी किये गये निर्णय में प्रतिकर राशि जमा न किये जाने के आदेश में संशोधन करते हुए पुनः आदेश जारी करने की कृपा करे। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की पहचान भू.अ.निरीक्षक 3 सी छोटी से करवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार का प्रतिकर नहीं लेना चाहते है तथा आपसी सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाया गया है। अतः प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जा सकता है।

अतः प्रकरण संख्या 47 / 2025 शीर्षक हरदीप सिंह बनाम देवेन्द्र सिंह में पारित निर्णय दिनांक 04.07.2025 के आदेश में मुआवजा की शर्त " **तहसीलदार श्रीगंगानगर रास्ते के मुआवजा स्वरूप प्रार्थी द्वारा डी.एल.सी. का दुगुनी राशि जमा करवाये जाने के पश्चात् राजस्व अभिलेख में रास्ते का अंकन करना सुनिश्चित करे" को कलमजन (Delete) किया जाता है। अतः रास्ता के बदले कोई मुआवजा देय नहीं होगा।** उक्त संशोधन आदेश को निर्णय दिनांक 04.07.2025 का भाग पढ़ा जावे। संशोधित आदेश आज दिनांक 09.07.2025 को लिखवाया जाकर उभयपक्ष को सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 47/2025

हरदीप सिंह पुत्र श्री प्रीतमसिंह जाति जटसिख उम्र 60 वर्ष निवासी – 24 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. देवेन्द्र सिंह पुत्र शिंगारासिंह जाति सोनी निवासी 85 एच ब्लांक, नेहरू पार्क, पायल सिनेमा रोड़, श्रीगंगानगर
2. निर्मलजीत कौर पुत्री प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी 24 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. परमजीत कौर पुत्री प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी 24 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
4. प्रहलाद पुत्र सुखमन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 24 जैड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
5. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी 24 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
6. सुखराज पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी 24 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. संदीप कौर पुत्री प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी 24 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
8. हरदीप सिंह पुत्र श्री प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी 24 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
9. स्नेहप्रीत सिंह पुत्र पुष्पेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 24 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
10. अनुप्रीत कौर सन्धू पत्नी स्व. हरेन्द्रसिंह पुत्री रिछपालसिंह जाति जटसिख निवासी 24 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
11. गुरमीतसिंह पुत्र श्री हरपालसिंह जाति जटसिख निवासी 24 तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
12. जगमीत सिंह पुत्र इकबालसिंह जाति जटसिख निवासी 24 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
13. नवदीप सिंह पुत्र इकबालसिंह जाति जटसिख निवासी 24 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
14. मनजीत कौर पत्नी इकबालसिंह जाति जटसिख निवासी 24 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
15. सुखदीपसिंह पुत्र हरपालसिंह जाति जटसिख निवासी 24 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
16. प्रहलाद सिंह पुत्र सुखमन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 24 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

17. प्रबंधक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा मीरा चौक, श्रीगंगानगर
18. प्रबंधक पंजाब नैशनल बैंक शाखा 15 जैड, श्रीगंगानगर ।
19. प्रबंधक, पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर ।
20. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर ।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री भजन लाल टाक — प्रार्थी
2. श्री विनोद कुमार — अप्रार्थी संख्या 1 ता 16

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 04.07.2025

प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील श्रीगंगानगर के चक 24 जैड के खाता संख्या 41/33 के मू.न. 15 के किला नम्बर 1 ता 10 मु.न. 23 के किला नम्बर 15/5, 15/6, मु.न. 24 के किला नम्बर 11 ता 25 में हैक्टर नहरी कुल 6.326 मय खाला संयुक्त खाता में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का 0.978 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है मौजूदा जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न वाद पत्र है। चक 24 जैड तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 80/69 के मु.न. 15 के किला नम्बर 25/2 व मु.न. 24 के किला नम्बर 1 ता 10 में 2.732 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 9 स्नेहप्रीत सिंह के नाम से दर्ज है। मौजूदा जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न प्रार्थना पत्र है। चक 24 जैड के खाता संख्या 25/75 के मु.न. 4 के किला नम्बर 2/2,3/1, 11 ता 15 सालम, मु.न.8 के किला नम्बर 2, 9, 19, 22/1, 22/2 में मु.न. 15 के किला नम्बर 16, 17, 18/1, 21 ता 24, 25/1 = 4.581 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है। चक 24 जैड के खाता संख्या 56/46 के मु.न. 15 के किला नम्बर 11 ता 15, 18/2, 1920 में 1.859 हैक्टर नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मौजूदा जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने के लिए मु.न. 24 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 व मु.न. 15 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6 में से गुजर कर अपने खेत में प्रवेश करता है जिसमें मु.न. मु.न. 24 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 व मु.न. 15 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6 पूर्व में रास्ता स्वीकृत है इन किलों में सहमति से प्रार्थी अपने खेत में आता है इसके आलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी की कृषि भूमि जाने के लिए नहीं है। प्रार्थी मु.न.15 के किला नम्बर 6 में जाना होता है जिसके मु.न. 24 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 व मु.न. 15 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6 में से प्रवेश करते हुए अपने मुनः15 के किला नम्बर 6 में से सदा इसी रास्ता से अपने

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

खेत में आता–जाता रहा है इस रास्ता के अलावा प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए अन्य कोई निकट या दूर रास्ता नहीं है जिससे वह अपने खेत में आ जा सके। फसल हाड़ी–सावनी के वक्त तथा अन्य दिनों में उपरोक्त चालू मु.न. 24 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 व मु.न. 15 के किला नम्बर 25, 16, 15 में रास्ता जो राजस्व रिकार्ड में मंजूर शुद्वा नहीं है जिसमें अप्रार्थीगण अन्य तरीके से इस चालू रास्ता में व्यवधान पैदा कर देते हैं तथा प्रार्थी अपने खेत में आने–जाने नहीं देते है। इस कारण इस चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में मंजूर करवाना आवश्यक व जरूरी हो गया है। प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थीगण से कहा कि मु.न. 24 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 व मु.न. 15 के किला नम्बर 25, 16, 15 में चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड मे मंजूर करवाने के लिए आप सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी सहमति के ब्यान कर दो ताकि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन हो जावे। पहले तो अप्रार्थीगण आजकलकृआजकल करते रहे और फिर आज से दस रोज पूर्व स्पष्ट इंकार हो गये और कहने लगा कि हम तो इस चालू रास्ता को मंजूर नहीं करवाते है और ना ही आपके पक्ष में सहमति के ब्यान करते है। आपको जो करना है सो करो बस बिनाए प्रार्थना पत्र है जो कि प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध हासिल हुआ है। प्रार्थी को इस चालू रास्ता को अप्रार्थीगण के द्वारा बंद करने से असहनीय क्षर्ति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना से नहीं हो सकेगी। इस कारण अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वह चालू रास्ता में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करे और रास्ता बंद नहीं करे। प्रार्थी इस रास्ता की एवज में अप्रार्थीगण को डी एल सी की दर की दुगनी राशि अथवा जमीन के बदले चिपती जमीन देने को तैयार है। राजस्थान सरकार भूमि की मालिक है व आवश्यक पक्षकार है इसलिए उसे पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त कृषि भूमि पर बैंक से ऋण प्राप्त किया हुआ है इस कारण से बैंक को पक्षकार बनाया गया है लेकिन उनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा है। प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार का है जो कि समयावधि में समुचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके चक 24 जैड के मु.न. 24 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 व मु.न. 15 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6 में मु.न. 15 के किला नम्बर 6 में जाने के लिए रास्ता स्वीकृत किया जावे। अन्य कोई आज्ञा जो न्याय संगत जो प्रार्थी के पक्ष में हो प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 16 की और से इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी. पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाके चक 24 जैड के मु.न. 24 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 व मु.न. 15 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6 में मु.न. 15 के किला नम्बर 6 में जाने के लिए रास्ता स्वीकृत किया जाता तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 16 को ऐतराज नहीं है जिसके लिए वह सहमत है।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

– :: आदेश ::–

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए., अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किए गये कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति जवाब में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए को स्वीकार किये जाने बावत सहमति जाहिर की गई। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया गया। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के अन्तर्गत प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि आने जाने हेतु तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 24 जैड के मु.न. 24 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 व मु.न. 15 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6 में मु.न. 15 के किला नम्बर 6 में जाने के लिए 1–1(एक–एक) बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर रास्ते के मुआवजा स्वरूप प्रार्थी द्वारा डी.एल.सी. का दुगुनी राशि जमा करवाये जाने के पश्चात् राजस्व अभिलेख में रास्ते का अंकन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner